न मार्गों की संग अभियान 2021

रिपोर्ट पटवारी हल्का/भू-अभिलेख निरीक्षक

आवेदन पत्र के सम्बन्ध में जांच की गई। जिसके अनुसार [illegible]

[illegible]

तहसीलदार, उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी

क्रमांक : राजस्व/2020/

दिनांक :-

पुनः श्री उपखण्ड अधिकारी महोदय, उदयपुरवाटी को प्रेषित कर निवेदन है कि आवेदन पत्र में वर्णितानुसार आवेदक का नाम दुरूस्त किया जाना उचित है/उचित नहीं है। आवेदक का नाम दुरस्त किये जाने की अभिशंसा की जाती है /नहीं की जाती है।

दुरुस्त किया जाना उचित है।

9/11/2021

तहसीलदार, उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी

9-11-2021

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं (राज.)

-: आदेश :-

दिनांक :- 9/11/21

प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021

प्रार्थी के "खाता दुरस्ती" प्रार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों एवं तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में निम्नांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	जमाबन्दी संवत्	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1.	किशोरपुरा	2075-78	609	मक्खन पुत्र इन्द्राजीराम	मक्खन [illegible] पुत्र इन्द्राजीराम

नोट :-शेष प्रविष्टियां यथावत रहेगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की पालना की जावे।

3.

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

दिनांक :- 9-11-21

क्रमांक :- राजस्व/2020/

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी को वास्ते पालनार्थ।
2. प्रार्थी/प्रार्थीया ....को सूचनार्थ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.01.09 12:02:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

Scanned with CamScanner